



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 342 राँची, शुक्रवार, 10 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
31 मई, 2024 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

31 मई, 2024

संख्या-एल0जी0-03/2024-34--लेज0, झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-24/05/2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

” झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024

(झारखण्ड अधिनियम- 06, 2024)

विषय सूची

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

अध्याय-2

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(f) का प्रतिस्थापन

अध्याय-3

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(s) का अंतःस्थापन

प्रस्तावना

राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने एवं महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के आलोक में Gross Enrolment Ratio (GER) को राष्ट्रीय स्तर तक प्राप्त करने एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिला में एक बड़ा बहु विषयक (Multidisciplinary) विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है।

वर्तमान में गिरिडीह जिले में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। गिरिडीह जिले अन्तर्गत कुल 05 अंगीभूत महाविद्यालय, 10 संबद्ध महाविद्यालय एवं 07 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा शासित है। गिरिडीह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की दूरी लगभग 115 किलोमीटर होने के कारण जिले में उच्च शिक्षा का विकास संतोषजनक नहीं रहा है। गिरिडीह में वर्ष 2019 में सकल नामांकन अनुपात (GER) 11.71 पाया गया, जो राष्ट्रीय और राज्य के औसत से काफी कम है। Low GER यह दर्शाता है कि इस जिले में युवाओं की एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन से दूर है। गिरिडीह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की दूरी होने के कारण जिले के उच्च शिक्षण संस्थान उपेक्षित रहे हैं एवं उच्च शिक्षा का विकास संतोषजनक नहीं रहा है।

नीति आयोग द्वारा गिरिडीह को आकांक्षी जिले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह जिला लम्बे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहा है, जिसके कारण विकास की गति धीमी है। यह राज्य के पिछड़े जिलों में से एक है, जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्या है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज्यादातर युवा रोजगार एवं बेहतर शिक्षा की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। अधिकांश आबादी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में पलायन करते हैं।

महान वैज्ञानिक सर जे.सी. बोस का गिरिडीह जिला से खास लगाव था। उनके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही गिरिडीह में युवाओं को उच्च शिक्षा की पहुँच प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

उल्लेख करना है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला के निकटवर्ती जिला कोडरमा है। कोडरमा जिला अन्तर्गत कुल 02 अंगीभूत एवं 09 सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग द्वारा शासित हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुल 05 जिलों का क्षेत्राधिकार है। कोडरमा में वर्ष 2019 में सकल नामांकन अनुपात (GER) 11.26 है, जो राष्ट्रीय और राज्य के औसत से कम है।

भौगोलिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला के निकटवर्ती जिला कोडरमा होने के कारण इन जिलों के छात्र एवं छात्राओं को बेहतर एवं सुलभ शिक्षा व्यवस्था प्राप्त हो सके, इसके लिए कोडरमा जिला अवस्थित सभी महाविद्यालयों का क्षेत्राधिकार सर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के नियंत्रणाधीन लाना समीचीन प्रतीत होता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु “सर जे0सी0 बोस विश्वविद्यालय” की झारखण्ड राज्य में स्थापना और उसके अनुरूप झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) में संशोधन का प्रस्ताव है।

अतएव भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (1) यह अधिनियम, “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024” कहा जाएगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(f) का प्रतिस्थापन:-

धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा (1)(f) में वर्तमान प्रावधान:-

“विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा।

परन्तु, होमियोपैथी, स्वदेशी चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाएँ और पाली, प्राकृत तथा ऐसे दूसरी भाषाएँ जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता पूरे झारखण्ड राज्य के होगा। संस्कृत में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत आते हैं, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर के अधिकारिता क्षेत्र में आ जायेंगे।”

उक्त प्रावधान को निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(f) का प्रतिस्थापन:-

“विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो, धनबाद, गिरिडीह तथा कोडरमा जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा।

परन्तु, होमियोपैथी, स्वदेशी चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाएँ और पाली, प्राकृत तथा ऐसे दूसरी भाषाएँ जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता पूरे झारखण्ड राज्य के लिए होगा। संस्कृत में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत आते हैं, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर के अधिकारिता क्षेत्र में आ जायेंगे।”

अध्याय-3

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(s) का अंतःस्थापन

निम्नलिखित प्रावधान का अन्तःस्थापन निम्नतः होगा:-

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), जिसे इसके बाद कथित अधिनियम के नाम से जाना जायेगा, की धारा-3 की उपधारा-1 (r) के अंत में निम्नलिखित उपधारा-(1)(s) के रूप में अन्तःस्थापन किया जायेगा।

"3 (1) (s) सर जे. सी. बोस विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय गिरिडीह, झारखण्ड में होगा और जिसकी अधिकारिता गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों पर होगी।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

31 मई, 2024

संख्या-एल0जी0-03/2024-35--लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-**24/05/2024** को अनुमत " झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand State University (Amendment) Act, 2024

(Jharkhand Act, 06, 2024)

Subject List

Chapter-I

1. Short title, extent and commencement

Chapter-II

2. Substitution of sub-section 1(f) of Section-3 (Establishment and Combination of Universities) of Jharkhand State University Act, 2000 (adopted and as amended)

Chapter-III

3. Inclusion of sub-section (1) (s) of Section-3 (Establishment and Combination of Universities) of the Jharkhand State University Act, 2000 (adopted and as amended)

Jharkhand State University (Amendment) Act, 2024**Act for amendment in Jharkhand State University Act 2000 (adopted and as amended)****PREAMBLE**

The state government is determined to promote education and strengthen colleges in the state. In the light of the National Education Policy (NEP)-2020, significant efforts are being made in the field of higher education with the aim of achieving the Gross Enrolment Ratio (GER) up to the national level and providing maximum employment opportunities to the students. In this sequence, according to the National Education Policy (NEP)-2020, by the year 2030, a large multi-disciplinary university has been envisaged in each district.

Presently there is no university in Giridih district. There are a total of 05 constituent colleges, 10 affiliated colleges and 07 teacher training colleges in Giridih district. All the colleges located in the district are governed by Vinoba Bhave University, Hazaribag. The distance of Vinoba Bhave University, Hazaribag from Giridih is around 115 kilometres, as a result the development of Higher Education in Giridih district has not been satisfactory. The Gross Enrolment Ratio (GER) of Giridih in the year 2019 was found to be 11.71 which is much lower than the national and state average. Low GER indicates that a large population of youth (age gap of 18-23) in this district is away from higher educational. Due to the distance of Vinoba Bhave University, Hazaribagh from Giridih, higher educational institutions of the district have been neglected and the development of higher education has not been satisfactory.

Giridih district has been listed as an aspirational district by NITI Aayog on the basis of unsatisfactory condition of health and education in the district. This district has remained affected by Naxalite activities for a long time, hence the pace of development has been slow. It is one of the backward districts of the state with problems of poverty, unemployment, migration, education and health. A large part of the population mostly youths migrate to other states in search of employment and better education. Most of the population migrates to West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh.

Great scientist Sir JC Bose had a special attachment to Giridih district. With the establishment of a university in his name in this district, a new energy will be infused in the youth. Along with this, it will help in providing access to higher education to the youth of this district and create employment opportunities for them.

It is to mention that from geographical point of view, the nearest district of Giridih is Koderma. There are total 02 constituent and 09 affiliated colleges under Koderma district, which are governed by Vinoba Bhave University, Hazaribagh. It is also noteworthy that there are total 05 districts under the jurisdiction of Vinoba Bhave University, Hazaribagh. The Gross Enrolment Ratio (GER) in Koderma in the year 2019 is 11.26, which is lower than the national and state average.

From a geographical standpoint, Koderma is adjacent districts to Giridih district. To ensure that students in these districts have access to a better education system, it appears expedient to place the jurisdiction of all colleges located in Koderma district under Sir J.C. Bose University, Giridih.

To fulfill this purpose, establishment of "Sir JC Bose University" in the state of Jharkhand and according to it amendment in the Jharkhand State University Act, 2000 (adopted and as amended) is proposed.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the 75th Year of the Republic of India as follows:-

Chapter-1

4. Short title, extent and commencement

- (1) This Act may be called the "Jharkhand State University (Amendment) Act, 2024".
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force at once.

Chapter-2

5. Substitution of sub-section 1(f) of Section-3 (Establishment and Combination of Universities) of Jharkhand State University Act, 2000 (adopted and as amended):-

Current provision in sub-section (1) (f) of the section-3 (Establishment and Combination of Universities):-

"Vinoba Bhave University having the headquarters at Hazaribagh and the jurisdiction over the whole of the North Chhotanagpur Division except Dhanbad and Bokaro District.

Provided that the territorial jurisdiction shall extend to the whole of State of Jharkhand in matters pertaining to educational institutions imparting teaching in Homeopathy, Indigenous medicines and educational institutions imparting academic distinction in Pali, Prakrit and such other languages which the University may consider necessary. The educational institutions imparting academic distinction in Sanskrit which comes under the territorial jurisdiction of Vinoba Bhave University, Hazaribagh, will now come under the jurisdiction of this "Baba Baidhayanath Sanskrit University having the headquarters at Deoghar, Jharkhand."

The said provision shall be substituted by the following provision as -

Substitution of sub-section (1) (f) of Section-3 (Establishment and Combination of Universities).

"Vinoba Bhave University having the headquarters at Hazaribagh and the jurisdiction over the whole of the North Chhotanagpur Division except Dhanbad, Bokaro, Giridih and Koderma Districts.

Provided that the territorial jurisdiction shall extend to the whole of State of Jharkhand in matters pertaining to educational institutions imparting teaching in Homeopathy, Indigenous medicines and educational institutions imparting academic distinction in Pali, Prakrit and such other languages which the University may consider necessary. The educational institutions imparting academic distinction in Sanskrit which comes under the territorial jurisdiction of Vinoba Bhave University, Hazaribagh, will now come under the jurisdiction of this "Baba Baidhayanath Sanskrit University having the headquarters at Deoghar, Jharkhand."

Chapter-3

6. Inclusion of sub-section (1) (s) of Section-3 (Establishment and Combination of Universities) of the Jharkhand State University Act, 2000 (adopted and as amended)

The following provision shall be inserted:

In the Jharkhand State University Act, 2000 (adopted and as amended), hereinafter referred to as the said Act, at the end of sub-section-1 (r) of section-3, the following sub-section (1) (s) of section 3 shall be inserted as-

"3(1) (s) Sir J.C. Bose University, which shall have its headquarter at Giridih, Jharkhand and shall have jurisdiction over the district of Giridih and Koderma."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
